रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 2000/पौष 6, 1922
No. 297] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 2000/PAUSA 6, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2000

विषय : चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान से एनालजिन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत

सं. 66/1/2000-डीजीएडी.—पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय को चीन जनवादी गणराज्य तथा ताइवान से आयातित एनालजिन के कथित पाटन के विरूद्ध पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए एक याचिका प्राप्त हुई है । मै0 वाणी कैमिकल्स एंड इंटरमीडिएट्स लि0, 1-306 और 307, तीसरी मंजिल, दिव्यशक्ति कम्पलैक्स, 7-1-58, अमीर पेट, हैदराबाद ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा जाएगा) के समक्ष याचिका दायर की है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य तथा ताइवान (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा जाएगा) से एनालजिन के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

2. **घरेलू उद्योग:** यह याचिका मैसर्स वाणी कैमिकल्स एंड इंटरमीडिएट्स, हैदराबाद ने घरेलू उद्योग की ओर से दायर की है । याचिकाकर्त्ता ने दावा किया है कि जांच अवधि के दौरान उत्पादन में उसका लगभग 100 % हिस्सा बनता है और इसलिए वह उपर्युक्त नियमों के अनुसार याचिका दायर करने की स्थिति में है । यह भी आरोप लगाया गया है कि एनालजिन के सभी अन्य तथा कथित उत्पादकों ने उसका उत्पादन स्थगित/बंद कर दिया है ।

3. **विचाराधीन उत्पादः** याचिका में सम्मिलित उत्पाद चीन जनवादी गणराज्य तथा ताइवान मूल के अथवा वहां से निर्यातित एनालजिन है । अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार इस उत्पाद का वर्गीकरण सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 2933.1907 के तहत किया गया है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और मौजूदा जांच के कार्य क्षेत्र पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है । एनालजिन हल्का पीला परतदार सफेद क्रिस्टलिन पाउडर है । यह एनालजैसिक तथा ज्वरान्तक प्रयोजन में प्रयुक्त होने वाली जलनरोधी तथा ज्वरान्तक औषधि है । याचिकाकर्त्ताओं ने यह भी कहा है कि इस उत्पाद को एनालजिन के विभिन्न नामों से जाना जाता है जैसे मेटामिजोल, मेथमपाइरोन आदि ।

4. **शामिल देशः** मौजूदा जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य तथा ताइवान है ।

5. **समान वस्तुः** याचिकाकर्त्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों में उत्पादित वहाँ के मूल की या वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तुएं हैं । याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तुएँ माना जा रहा है ।

6. **सामान्य मूल्यः** याचिकाकर्त्ता का दावा है कि चीन जनवादी गणराज्य तथा ताइवान में विद्यमान बाजार स्थिति को देखते हुए उन देशों में प्रचलित सामान्य मूल्य को प्राप्त करना उनके लिए मुश्किल है । सामान्य मूल्य का परिकलन संबद्ध वस्तु की अनुमानित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों तथा समुचित लाभ मार्जिन के लिए विधिवत समायोजन की अनुमति दी गई है ।

7. **निर्यात कीमतः** याचिकाकर्त्ताओं ने वर्ष 1999 और 2000 के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), कलकत्ता (उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों) तथा मैसर्स इंटरनेशनल पैब्लिशिंग हाउस, मुंबई के जरिए गौण स्रोत से प्राप्त आयात सूचना के अनुसार निर्यात कीमत मुहैया की है । अतः उक्त देशों से भारत को हुए निर्यात की प्रचलित कीमत के बारे में प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य हैं ।

8. **पाटन मार्जिनः** इस बात के प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से भारत को किए गए निर्यात की कीमत उक्त देशों में सामान्य मूल्य से कम थी । अतः इस बात का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है कि चीन जनवादी गणराज्य तथा ताइवान से भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है ।

9. **क्षति तथा कारणात्मक संबंधः** क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंडों जैसे आयातों की मात्रा, बाजार हिस्सा, संबद्ध देशों से आयात की कीमत तथा घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले विभिन्न संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, कीमतों में कटौती आदि से सामूहिक तथा संचयी रूप से प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

10. **पाटनरोधी जांच शुरू करनाः** अतः प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य तथा ताइवान के मूल के या वहां से निर्यातित एनालजिन के आरोपित पाटन की मौजूदगी उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं ।

11. **जांच की अवधिः** वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 99 से 30 सितम्बर, 2000 (18 माह) तक की है ।

12. **सूचना प्रस्तुत करनाः** संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत में ज्ञात आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे अपने विचार तथा संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढ़ंग से श्री एल वी सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा अपर सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत कर सकते हैं । अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढ़ंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

13. **समय-सीमाः** वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुँच जाने चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी ।

14. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षणः** नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण निर्धारित समय-सीमा के समाप्त होने के बाद कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

15. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा महत्वपूर्ण ढ़ंग से जांच में बाधा डालती है अथवा सूचना किसी भी रूप में अधूरी होती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2000

Subject :— Initiation of Anti-dumping investigations concerning imports of Analgin from China PR and Taiwan.

No. 66/1/2000-DGAD.— The Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties has received a petition for initiation of anti-dumping investigations against alleged dumping of Analgin imported from China PR and Taiwan. M/s. Vani Chemicals and Intermediates Ltd.,1-306 & 307, 3rd Floor, Divyashakti Complex, 7-1-58, Ameerpet, Hyderabad has filed a petition in accordance with Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Analgin from China PR and Taiwan (also hereinafter referred to as subject countries) and requested for initiation of anti-dumping investigation and levy of anti-dumping duty.

2. Domestic Industry:- The petition has been filed by M/s. Vani Chemicals and Intermediates, Hyderabad on behalf of the domestic industry. The petitioner has claimed that it accounts for almost 100% of the production during the period of investigation and, therefore, has the standing to file the petition on behalf of the aforesaid Rules. It has been alleged that all other supposed producers of Analgin have suspended/closed that production.

3. Product involved: The product involved in the petition is Analgin originating in or exported from China PR and Taiwan. The product is classified under Customs Tariff heading 2933.1907 as per International Trading classification. The classification is however, indicative only and in no way binding on present investigation. Analgin is a white crystalline powder with searcely perceptible yellowish tinge. It is an anti-inflammatory and anti-pyretic drug used in analgesic and anti-pyretic purpose. The petitioners have also stated that the product is known by various synonyms of Analgin Viz. Metamizol, Methampyrone etc.

4. Country Involved: The country involved in the present investigation is China PR and Taiwan.

5. Like Article:- The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods produced, originating in or exported from the subject countries. Goods produced by the petitioner are being treated as like articles to the goods imported from the subject countries within the meaning of the Rules.

6. Normal Value:- The petitioner claims that it is difficult for them to obtain normal value prevailing in China PR and Taiwan in view of the market condition in those countries. The normal value has been constructed on the basis of estimates of cost of production of subject goods duly adjusted to include selling, general and administrative expanses and a reasonable profit margin.

7. Export Price: The petitioners have provided the export price as per Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Calcutta (latest available) and import information received from the secondary source through M/s. International Publishing House, Mumbai for the year 1999 & 2000. Thus there is sufficient prime facie evidence with regard to prevailing export prices to India from the said countries.

8. Dumping Margin: There is sufficient prime facie evidence that export price to India from subject countries were lower than the normal value in the said countries. Thus, there is sufficient evidence that the product under consideration is being dumped into India from China PR and Taiwan.

9. Injury and Causal Link: The various parameters relating to injury such as quantum of imports, market share, import price from subject countries and various indicators affecting domestic industry such as production, capacity utilisation, price undercutting etc. collectively and cumulatively prime facie indicates that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping.

10. Initiation of Anti-Dumping Investigation: The Designated Authority, therefore, initiates anti dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of Analgin originating in or exported from China PR & Taiwan.

11. Period of Investigation: The period of investigation for the purposes of present investigation is 1st April,1999 to 30th September, 2000(18 months).

12. Submission of Information: The exporters in the subject countries and importers in India known to be concerned are being addressed to submit relevant information in the form and manner prescribed and to import their views known to **Shri L.V.Saptharishi, Designated Authority and Additional Secretary to Government of India, Ministry of Commerce, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.** Any other interested party may also make its submission relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

13. Time Limit:- Any information relating to the present investigation may be sent in writing so as to reach the Designated Authority at the address mentioned above not later than 40 days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however, required to submit the information within 40 days from the date of letter addressed to them separately.

14. Inspection of Public File:- In terms of Rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by the other interested parties after the expiry of time limit thus set out.

15. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation or the information is incomplete in any respect, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.